

## कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद - हरदोई

संख्या / 114 / न0पा0परि0बि0 / नि0सू0 / 20-21

दिनांक - 16.12.2020

### अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-टेंडरिंग के अर्न्तगत जनपद हरदोई के न0पा0परि0बिलग्राम में ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से नगर पालिका सूची में अंकित निर्माण कार्य हेतु ई-टेंडर निविदा निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी0एन0बी0 के खाता संख्या 4105002100000139 आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB04105000 में आर0टी0जी0एस0 या नगद जमा किया जाये। आर0टी0जी0एस0/नगद निविदा मूल्य न जमा करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।

(A)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा प्रकाशन तिथि	18.12.2020
(B)	वेबसाइट पर आनलाइन निविदा डाउनलोड की तिथि	13.12.2020
(C)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा डालने की तिथि व समय	29.12.2020
(D)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	30.12.2020
(E)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी निविदा के मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित की जायेगी।
(F)	ई-निविदा खोलने का स्थान	अपर जिला मजिस्ट्रेट/ प्रमारी अधिकारी (स्था0नि0) एवं कार्यालय न0पा0परि0 बिलग्राम

### कार्य विवरण निम्नवत:-

क्र0स0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर धनराशि (5 प्रतिशत)	निविदा मूल्य + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6
<b>15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत वर्ष 2020-21</b>					
1	मो0 मैदानपुरा-06 मे अलीगढ मार्ग से कर्बला मार्ग तक इण्टर लाकिंग व आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	44,90,888.00	2,24,545.00	5310.00	01 माह

### नियम व शर्तें-

- विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई में श्री रूपेश खन्ना लिपिक एवं श्री रोहित शाहू अवर अभियन्ता लोक निर्माण विभाग 02 बिलग्राम हरदोई से प्राप्त की जा सकती है तथा फर्म/ठेकेदार निविदा अपलोड करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकते है।
- आगणन से 15 प्रतिशत से अधिक दर की निविदा को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा आगणन से 10 प्रतिशत कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि 0.5 प्रतिशत एवं 10 से 15 प्रतिशत कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि 1 प्रतिशत परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- भुगतान कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण के उपरान्त सन्तोषजनक पाये जाने पर बजट उपलब्धता न होने तक ठेकेदार/फर्म की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा नियमानुसार आयकर/जी0एस0टी0 आदि सभी करों की कटौती करके भुगतान किया जायेगा। शासन द्वारा उपयोगिता अवधि प्राप्त होने पर भुगतान पर विचार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि रा0बि0आ0/नगर निधि से उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।
- निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य नगर पालिका परिषद बिलग्राम की बैंक पी0एन0बी0 खाता खं 4105002100000139 आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB04105000 में ऑन लाइन आदि माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसकी रसीद कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम से प्राप्त की जायेगी।
- अन्तिम भुगतान से 05 वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर, जमा कुल जमानत धनराशि वापस की जायेगी तथा पाँच वर्ष तक सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सफलता प्राप्त फर्म/ठेकेदार की होगी।



टेण्डर दाताओं को टेण्डर के समय निम्न प्रपत्र इ टेण्डर में अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा ठास प्रपत्र न तो सफलता प्राप्त करवाये जायेगा।

- पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा का प्रपत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र।
- हैसियत प्रमाण पत्र।
- टी-6 टी-5 टी-4
- यशोनीरी उपलब्धता, टेक्निकल स्टाफ एवं निकाय में किसी सगे सम्बन्धी या परिवार के किसी व्यक्ति के कार्य न करने का नोटरी कर्षाकर शपथ पत्र।
- आयकर विभाग का वार्षिक क्लीयरेंस प्रमाण पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र।
- श्रम विभाग का पंजीकरण।
- जी0एर0डी0 प्रमाण पत्र वर्तमान में सक्रिय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण नगर पालिका के अन्तर्गत नहीं है, तो उसे नगर पालिका में निविदा सफलता के पश्चात पंजीकरण शर्तों के अधीन 10 दिन के अन्दर नगर विकास से निर्गत शासनादेश के क्रम में कराना अनिवार्य होगा साथ ही शासन/निदेशक उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेशों/निदेशक के पत्र सं० तक्र०सेल/07/निदे०/2019 दिनांक 28 जून 2019 के अनुकूल कार्य विभिन्न श्रेणियों के अधीन कार्य प्राप्त किये जा सकते हैं। उस श्रेणी के अतिरिक्त यदि निविदा खाली जाती है तो स्वतः निरस्त मानी जायेगी, एवं ऐसे ठेकेदार/फर्म को कार्य स्वीकृत किया जाता है जिसका पंजीयन निकाय में नहीं है तो शासनादेश सं० 3090/नौ-6-19-149सा/2019 दिनांक 20 सितम्बर 2019 के क्रम में ई-निविदा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात निकाय में पंजीकरण शर्तों के अधीन कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासनादेश [www.ctender.up.nic.in](http://www.ctender.up.nic.in) पर अपलोड है।

- स्वीकृत फर्म को कार्य से पूर्व कार्य स्थल की, कार्य के दौरान, कार्य के अंत में फोटोग्राफ, कार्यालय लिपिक या सम्बन्धित अवर अभियन्ता के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश के अनुरूप प्रत्येक कार्य का अनुबन्धनामा एवं नोटरी शपथ पत्र एवं समस्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियाँ एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य है।
- टेण्डर तकनीकी अधिकारी की देख रेख में खोले जायेंगे, एवं टेण्डरों का परीक्षण भी तकनीकी अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, तकनीकी अधिकारी की लिखित संतुष्टता के उपरान्त ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। यदि भविष्य में कोई चूक पायी जाती है, तो उसके लिए तकनीकी अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।
- सफलता प्राप्त फर्म को कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्यस्थल पर 1X1.5 मीटर का डिस्प्लेबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिस पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- निविदा खुलने के समय ठेकेदार/फर्म अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी फर्म द्वारा कार्य किया जाता है तो पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- एकल/सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी साथ ही स्वीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य स्वीकृत के पश्चात यदि कार्य हस्तांतरित किये जाने की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही, काला सूची में डाला जाने हेतु समस्त विभागों में किये जाने हेतु संसूचित किया जायेगा। पारदर्शिता प्रतियोगिता की दृष्टि से न्यूनतम 03 निविदायें प्राप्त होनी अनिवार्य होगी। अन्यथा की स्थिति में टेण्डर निरस्त किया जायेगा।
- टेण्डर फार्म पर टेण्डर रेट (दरें) कम या अधिक प्रतिशत आधार पर स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
- कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा, जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से अथवा जमा धनराशि से की जायेगी यह दण्ड दो सप्ताह तक अधिकतम रू 500.00 प्रतिदिन हो सकता है दो सप्ताह पश्चात कार्य की निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा बन्धित फर्म के विरुद्ध शासकीय कार्य में जानबूझ कर व्यवधान, शिथिलता/उदासीनता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।
- ठेकेदार को नामित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल)/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड0डी0एस0 जनपद हरदोई के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्य में प्रयुक्त इंटरलाकिंग, अन्य प्रयुक्त सामग्री का सैमुल परीक्षण कराने के पश्चात कार्य का अन्तिम भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेश संख्या :- 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26/02/2007 के अनुसार राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा।
- बिना कारण बताए एक टेण्डर या सभी टेण्डरों को निरस्त करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी में निहित होगा। नगर पालिका निर्माण नियमावली/लोक निर्माण विभाग की नियमावली, नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का पालन ठेकेदार/फर्म आदि को मानना अनिवार्य होगा।

(रूपेश खन्ना)  
वरिष्ठ लिपिक  
नगर पालिका परिषद  
बिलग्राम - हरदोई

(श्रीचंद)  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बिलग्राम हरदोई

Habib  
(हबीब अहमद)  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद  
बिलग्राम हरदोई